भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2278
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

मध्य प्रदेश में सहकारी समितियां

2278. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:
श्री दुर्गा दास उइके:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) मध्य प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समितियों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) सहकारी समितियों की किन योजनाओं से किसान सीधे लाभान्वित होते हैं तथा मध्य प्रदेश में उक्त योजनाओं से लाभान्वित किसानों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ग) सरकार भविष्य में किन क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में किन सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है और उन्हें कितनी निधि प्रदान की गई है; और
(ङ) सहकारी समितियों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ङ): भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा प्रकाशित स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल-2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल सहकारी समितियों की संख्या 47,415 है । मध्य प्रदेश में क्षेत्रक-वार सहकारी समितियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर संलग्न है ।

सहकारिता मंत्रालय का एक अधिदेश "देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाना तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुंच बनाना" है । सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों के लिए अनेक पहले की हैं जिनसे मध्य प्रदेश राज्य सहित देशभर के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है, जैसे:

i. दिनांक 29 जून, 2022 को मंत्रालय ने 2,517 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स, जो त्रि-स्तरीय ग्रामीण ऋण संरचना के सबसे निचले स्तर पर आते हैं, के डिजिटलीकरण के लिए "प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना का आरंभ किया । यह परियोजना उनके कार्यों में पारदर्शिता और कुशलता लाएगी । जनजातीय क्षेत्रों में पैक्स के समान समितियां जैसे लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ (LAMPS) को भी पैक्स परियोजना के कंप्यूटरीकरण से फायदा होगा ।
ii. मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श के पश्चात् आदर्श उपविधियां तैयार की है । पैक्स की ये आदर्श उपविधियां उन्हें डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों के निर्माण, खाद्यान्न, उर्वरक और बीजों की खरीद, आदि जैसे 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करेंगीं ।
iii. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है**,** सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और प्राथमिक/ जिला सहकारी विपणन समितियों की शेयर पूंजी आधार का संशक्तिकरण**,** प्रसंस्करण केन्द्रों**,** भंडारण सुविधाओं की स्थापना**,** शीत श्रृंखला की स्थापना व आधुनिकीकरण**,** सहकारी बैंकिंग इकाइयों की स्थापना**,** कृषि सेवाओं**,** एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं**,** सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण में सहायता**,** सहकारी उद्यम सहयोग और नवाचार के

लिए 'युवा सहकार', स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को कवर करने वाली 'आयुष्मान सहकार', महिला सहकारी समिति की सहायता के लिए 'नंदिनी सहकार', आदि जैसे विभिन्न कार्य करता है ।

सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अन्य योजनाएं निम्नानुसार हैं:

i. कृषि अवसंरचना कोष (कृषि और किसान कल्याण विभाग) – एफपीओ, पैक्स, उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स और अन्य लाभार्थियों द्वारा फार्म गेट पर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर भारत सरकार द्वारा 3% ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है ।
ii. कृषि विपणन अवसंरचना (कृषि और किसान कल्याण विभाग) – किसानों की आय वृद्धि के लिए किसानों के स्तर पर मूल्य वर्धन और प्रसंस्करण का प्रोत्साहन सहित कृषि मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों अर्थात नाबार्ड, एनसीडीसी, कृषि और किसान कल्याण विभाग, आदि के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इस योजना के तहत 25% से 33.33% तक की दर पर सब्सिडि उपलब्ध है ।
iii. कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM) (कृषि और किसान कल्याण विभाग) – यह योजना उच्च मूल्य कृषि उपकरणों के लिए कस्टम हाइरिंग केन्द्रों और हब स्थापित करने की परिकल्पना करता है । ये उपकरण किसानों को किराए पर उपलब्ध होंगे और 60 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर 40% की दर पर सब्सिडि उपलब्ध होगी ।
iv. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) (कृषि और किसान कल्याण विभाग) – यह योजना बागवानी क्षेत्रक के अधीन विभिन्न कार्यकलापों को कवर करती है जैसे फलों, सब्जियों और फूलों के नए बाग स्थापित करना, पॉली गृहों, ग्रीन हाउस का निर्माण करना, आदि । इन कार्यों के लिए 25-55% तक की सब्सिडि दी जाती है ।
v. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) – इस योजना का लक्ष्य फार्म गेट से रीटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है । इस योजना के तहत प्राथमिक प्रसंस्करण आदि के लिए शीतालन कक्ष, शीतागार, एकीकृत पैक हाउस परियोजना लागत का 35% तक की सब्सिडि प्रदान की जाती है जो कठिन क्षेत्रों में 50% तक हो सकती है ।
vi. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) – यह योजना 'एक जिला एक उत्पाद' का दृष्टिकोण अपनाता है । सामूहिक श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लिए सहकारी समितियां 35% सब्सिडि (₹ 10 लाख तक) ले सकती हैं । फार्म गेट पर सामान्य अवसंरचना जैसे कॉमन प्रसंस्करण, सुविधा, छंटाई, ग्रेडिंग, भांडागार एवं शीतागारों, इंक्यूबेशन केन्द्र, आदि की स्थापना के लिए ₹ 3 करोड़ क्रेडिट लिंक्ड अनुदान उपलब्ध है ।
vii. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) मुख्य रूप से उन जिलों में जहां प्रमुखता से वनवासी जनजातीय आबादी हैं, लघु वनोत्पाद (MFP) के संग्रहण और बिक्री के लिए वन धन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है । उद्देश्य यह है कि जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व में वन धन विकास केन्द्र क्लस्टर (VDVKCs) स्थापित किया जाए । इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों/वन धन केन्द्रों के रूप में समूहों को 100 % सहायता प्रदान करना है ।

भारत सरकार की सभी योजनाएं मध्य प्रदेश राज्य के जनजातीय क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और सभी क्षेत्रों में सहकारी समितियों को पुन:सशक्त करने की ओर अभिमुख है । विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों को दी गई वित्तीय सहायता **अनुबंध-II** पर संलग्न है ।

*****

अनुबंध -1

एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रोफाइल 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न प्रकार कि समितियाँ

विभिन्न प्रकार	**समितियों कि संख्यां**
मार्केटिंग	380
कंसुमर	4,977
डेरी	9,554
हाउसिंग	2,946
सुगर	1
लेबर	784
फिशरी/प्सिकल्चर/एक्काकल्चर	2,460
पशुधन और मुर्गी पालन	119
कपड़ा/हथकरघा/स्पिंडलेज/हस्तशिल्प	968
कृषि-संबद्ध/कृषि-प्रसंस्करण	2,093
औद्योगिक	1,525
महिला	5,675
मल्टी-स्टेट	26
मल्टी-परपस	1,597
सेवा क्षेत्र	0
ट्राइबल/एससी-एसटी	272
एस सी यु	1
अन्य	5,701
कुल - नॉन क्रेडिट	**39,079**
पैक्स	4,457
पीसीएआरडीबी	35
युसीबी	51
एम्प्लोयी थ्रिफ्ट और अन्य क्रेडिट	3,753
डीसीसीबी	38
एससीबी	1
एससीएआरडीबी	1
कुल क्रेडिट	**8,336**
कुल योग(गैर-क्रेडिट+क्रेडिट)	**47,415**

अनुबंध - 2

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में एनसीडीसी द्वारा वितरित सहायता (लाख रुपये में)				
क्रम संख्या	**समाज का नाम**	**रूटिंग एजेंसी**	**सब्सिडी**	**कुल निधि प्रदान की गई**
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन	डीसीसीबी	90.75	193.72
2	एनसीएल दुधीचुआ परियोजना कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भंडार Mydt।	डायरेक्ट फंडिंग	1.00	5.00
3	निगाही परियोजना कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भंडार Mydt।	डायरेक्ट फंडिंग	0.94	3.98
4	सहकारी शीतगृह संस्था मर्यादित, राऊ	डायरेक्ट फंडिंग	27.36	116.28
5	ताप्ती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित	डायरेक्ट फंडिंग	1.00	1.00
6	जवाहरलाल नेहरू सहकारी कृषि उत्पादन प्रसंस्करण सोसायटी लिमिटेड	डायरेक्ट फंडिंग	-	2,499.00
7	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मरयादित, देवास	डीसीसीबी	-	17,400.00
8	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरयादित, विदिशा	डीसीसीबी	-	24,500.00
9	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, धार	डीसीसीबी	-	13,000.00
10	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर	डीसीसीबी	-	22,500.00
11	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर	डीसीसीबी	-	15,000.00
12	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन	डीसीसीबी	-	10,000.00
13	मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आई.सी.डी.पी	राज्य सरकार।	803.87	2,900.52
14	पैक्स को गोदाम निर्माण में सहायता	राज्य सरकार।	50.22	50.22
कुल			**975.14**	**108,169.72**

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में एनसीडीसी द्वारा वितरित सहायता (लाख रुपये में)				
क्रम संख्या	**समाज का नाम**	**रूटिंग एजेंसी**	**सब्सिडी**	**कुल निधि प्रदान की गई**
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन	डीसीसीबी	8.36	29.30
2	विपनन सहकारी संस्था मर्यादित, पेल्टावाड़	डायरेक्ट फंडिंग	15.40	65.45
3	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, धार	डीसीसीबी	-	4,500.00
4	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर	डीसीसीबी	-	7,490.00
5	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मरयादित, देवास	डीसीसीबी	-	6,000.00
6	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर	डीसीसीबी	-	2,000.00
7	मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आई.सी.डी.पी	राज्य सरकार।	593.85	714.68
8	पैक्स को गोदाम निर्माण में सहायता	राज्य सरकार।	12.24	36.85
कुल			**629.85**	**20,836.28**

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में एनसीडीसी द्वारा वितरित सहायता (लाख रुपये में)				
क्रम संख्या	**समाज का नाम**	**रूटिंग एजेंसी**	**सब्सिडी**	**कुल निधि प्रदान की गई**
1	श्री शक्ति विपनन सहकारी संस्था मर्यादित, गोगावा	डायरेक्ट फंडिंग	0.02	0.02
2	मंथन ग्रामीण समाज सेवा समिति (मंथन)	डायरेक्ट फंडिंग	8.54	8.54
3	मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	डायरेक्ट फंडिंग	8.54	8.54
4	कृषि विकास सहकारी समिति (KVSSL)	डायरेक्ट फंडिंग	6.41	6.41
5	एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास सेवाएं (आईएसईडीएस)	डायरेक्ट फंडिंग	4.27	4.27
6	गुरुकृपा किसान उत्पादक सहकारी संस्था Mydt। हुसैनपुर, पहाड़गढ़	डायरेक्ट फंडिंग	2.98	2.98
7	चंबलघाटी किसान उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	डायरेक्ट फंडिंग	3.27	3.27
8	सबलगढ़ कृषक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	डायरेक्ट फंडिंग	3.27	3.27
9	श्रीनाथ किसान उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जौरा	डायरेक्ट फंडिंग	2.90	2.90
10	कैलारस कृषक उत्पादक सहकारी संस्था	डायरेक्ट फंडिंग	3.28	3.28
11	सहकारी शीतगृह संस्था मर्यादित, राऊ	डायरेक्ट फंडिंग	19.70	69.70
12	सेवा सहकारी समिति Mydt।, बांकी जिला। सिवनी, मध्य प्रदेश	डायरेक्ट फंडिंग	6.78	27.63
13	प्रशिक्षण- पीएमएमएसवाई	डायरेक्ट फंडिंग	4.49	4.49
14	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, धार	डीसीसीबी	-	13,500.00
15	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर	डीसीसीबी	-	15,000.00
16	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मरयादित, देवास	डीसीसीबी	-	9,000.00
17	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर	डीसीसीबी	-	8,000.00
18	समृद्ध महिला बहुउद्देश्य सहकारी समिति, मर्यादित, सिंगापुर	डायरेक्ट फंडिंग	0.58	0.58
19	मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आई.सी.डी.पी	राज्य सरकार।	509.91	2,064.04
कुल			**584.94**	**47,709.92**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में एनसीडीसी द्वारा वितरण सहायता (14.12.2022 तक) (लाख रुपये में)				
क्र.सं	**समिति का नाम**	**रूटिंग एजेंसी**	**सब्सिडी**	**कुल निधि प्रदान की गई**
1	मंथन ग्रामीण समाज सेवा समिति (मंथन)	डायरेक्ट फंडिंग	8.01	8.01
2	मध्य भारत कांसुर्तियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड	डायरेक्ट फंडिंग	8.01	8.01
3	कृषि विकास सहकारिता समिति (KVSSL)	डायरेक्ट फंडिंग	9.79	9.79
4	गुरुकृपा किसान उत्पादक संस्था Mydt। हुसैनपुर, पहाड़गढ़	डायरेक्ट फंडिंग	3.25	3.25
5	चंबलघाटी किसान उत्पादक संस्था मर्यादित	डायरेक्ट फंडिंग	2.80	2.80
6	सबलगढ़ कृषक उत्पादक संस्थान मर्यादित	डायरेक्ट फंडिंग	2.80	2.80
7	कैलरस कृषक उत्पादक संस्था	डायरेक्ट फंडिंग	2.80	2.80
8	श्री हरिओम किसान उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित गुलगंज बिजावर छतरपुर	डायरेक्ट फंडिंग	5.38	5.38
9	श्री पंपापुर सरकार कृषक उत्पादक सहबद्ध समिति मर्यादित छतरपुर	डायरेक्ट फंडिंग	11.02	11.02
10	प्रशिक्षण - पीएमएमएसवाई	डायरेक्ट फंडिंग	1.24	1.24
11	जय धरती माँ किसान सेवा सहकारी समिति Mydt।	डायरेक्ट फंडिंग	5.59	5.59
12	सेवा सहकारिता समिति Mydt।, बांकी जिला। शिवनी, मध्य प्रदेश	डायरेक्ट फंडिंग	0.41	21.26
13	केसला आजीविका किसान उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सूक्तव	डायरेक्ट फंडिंग	6.71	6.71
14	रत्नागरभा कृषक उत्पादक सहकारी समिति मायद, पिपरिया	डायरेक्ट फंडिंग	9.86	9.86
15	माँ रीवा किसान उत्पादक सहकारी समिति Mydt। हरदा,	डायरेक्ट फंडिंग	6.74	6.74
16	अचलेश्वर महादेव किसान उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुरार	डायरेक्ट फंडिंग	3.00	3.00
17	मेकलसुता किसान उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बनखेड़ी	डायरेक्ट फंडिंग	3.79	3.79
18	जिला सहकारी बैंक मर्यादित, देवास	डीसीसीबी	-	11,000.00
19	जिला सहबद्ध बैंक मर्यादित, सीहोर	डीसीसीबी	-	5,000.00
20	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ	डीसीसीबी	-	2,500.00
21	जवाहरलाल नेहरू सहकारी कृषि उत्पादन प्रसंस्करण सोसायटी लिमिटेड	डायरेक्ट फंडिंग	-	2,000.00
22	मध्य प्रदेश के विभिन्न नेटवर्क में आई.सी.डी.पी	राज्य सरकार	388.12	588.12
कुल			**479.32**	**21,200.17**